बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0
खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर, ब्लॉक रोड नं0–2 पटना–1

पत्रांक–2:15:10:1:2018 8350 पटना/दिनांक– 10-8-2018

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक(जन वितरण),
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषय– **मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्नों का उठाव एवं परिवहन मद् में संशोधित दर के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के विरूद्ध भारतीय खाद्य निगम से उठाव/वितरण किये गये खाद्यान्न का परिवहन एवं हथालन मद् में विभागीय स्तर से 35/– रूपये प्रति क्वी0 की दर से राशि का भुगतान किया जा रहा था। सरकार के उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक–11 दिनांक 06.06.2018 से मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत देय परिवहन/हथालन दर 35/– रूपये प्रति क्वी0 की दर को संशोधित कर 75/– रूपये प्रति क्वी0 दर निर्धारित कर वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रभावी किया गया है। एतत् संबंधी पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि मध्याह्न भोजन योजना मद् मे वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन के विरूद्ध माह अप्रैल 2018 से उठाव किये गये खाद्यान्नों का परिवहन/हथालन राशि की प्राप्ति हेतु संशोधित दर 75/– रूपये प्रति क्वी0 की दर से विपत्र समर्पित कर भुगतान प्राप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक–यथावर्णित।

विश्वासभाजन,

10.8.2018

उप महाप्रबंधक(जन वितरण)।

MDM

पत्रांक– म०भो०को० / ES-108/2017 ...../

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

...

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

...

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक: .....

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत परिवहन–सह–हथालन मद के अंतर्गत राज्यांश मद में कुल 12,46,82,960/–(बारह करोड़ छियालीस लाख बेरासी हजार नौ सौ साठ रू०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत राज्यांश मद में कुल 12,46,82,960/–(बारह करोड़ छियालीस लाख बेरासी हजार नौ सौ साठ रू०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्त विभाग के संकल्प 2199 दिनांक 24.03.2017 में वर्णित दिशा निर्देश के आलोक में मध्याह्न भोजन योजना हेतु सहायता/अंशदान/अनुदान के रूप में निकासी की जानी है।

2. दिनांक 21.05.2018 मंत्रिपरिषद् के बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत परिवहन–सह– हथालन मद में राज्य खाद्य निगम को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राज्य खाद्य निगम के गोदाम तक वर्त्तमान में देय 35/–रू0 प्रति क्विंटल की दर में वृद्धि कर 75/–रू0 प्रति क्विंटल की दर निर्धारित एवं अतिरिक्त देय राशि 40/–रू0 प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार द्वारा वहन करने पर कुल 12,46,82,960/–(बारह करोड़ छियालीस लाख बेरासी हजार नौ सौ साठ रू०) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3 अतः उक्त कंडिका–02 में अंकित राशि की निकासी राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत राज्यांश मद के अंतर्गत कुल राशि 12,46,82,960/–(बारह करोड़ छियालीस लाख बेरासी हजार नौ सौ साठ रू०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति अपेक्षित है।

4 राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत परिवहन–सह हथालन मद में राशि की निकासी हेतु विवरणी निम्नवत् है :–

(राशि रू० में)

क्र सं०	मद	राज्यांश की राशि		
		प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक	STCS (Special training Centres	राज्यांश की कुल राशि
1	परिवहन–सह–हथालन	12,46,82,960	00	12,46,82,960

5. उक्त कंडिका–03 में अंकित राशि की निकासी निम्नलिखित राज्यांश बजट शीर्ष से की जाएगी:–

(i) राज्यांश बजट शीर्ष:–राज्यांश मद में व्यय होने वाली राशि 12,46,82,960/–(बारह करोड़ छियालीस लाख बेरासी हजार नौ सौ साठ रू०) मात्र की निकासी एवं व्यय मुख्य शीर्ष–2202 –सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, लघुशीर्ष–112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, उप शीर्ष–0303–प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम) माँग संख्या–21 विपत्र

कोड–21–2202011120303 के अधीन विषय शीर्ष "31 06–सहायक अनुदान में उपबंधित राशि 77000.00 लाख (सात सौ सतर करोड़ रू०) बजट उपबंधित है।

(ii) राज्यांश बजट शीर्ष:–मुख्य शीर्ष–2202 –सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, लघुशीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0306–प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम) माँग संख्या–21 विपत्र कोड–21–2202017890306 के अधीन विषय शीर्ष "31 06– सहायक अनुदान में उपबंधित राशि 9858.49 लाख (अंठानवे करोड़ अंठावन लाख उनचास हजार रू०) बजट उपबंधित है।

6. स्वीकृत राशि की निकासी सहायक निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना से की जाएगी तथा वे सम्पूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, पटना को उपलब्ध करायेंगे। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता के अनुसार जिलों के बीच राशि का उपावंटन किया जाएगा तथा RTGS/NEFT के माध्यम से जिलों को राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

7. कार्यक्रम का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड साधन सेवी, जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना/जिला पदाधिकारी एवं इस योजना के लिये संविदा पर नियुक्त अन्य कर्मियों तथा राज्य स्तर पर बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति द्वारा किया जायेगा। राशि प्राप्ति तथा उसके व्यय के पश्चात् जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना शीध्र इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. यह राज्यादेश वित्त विभाग के पत्रांक–2561 बि (02) दिनांक–17.04.1998, 2938 दिनांक–08.04.2008 तथा पत्रांक–159 दिनांक 20.03.2009 में विहित प्रावधान के अनुरुप निर्गत किया जा रहा है और वित्त विभाग के पत्रांक–96 बि 02 दिनांक–03.01.2008 के आलोक में उक्त राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त कंडिका–04 में अंकित राशि की निकासी में वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.98 की कंडिका–02 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. बिहार ट्रेजरी कोड–2011 के नियम– 269 के अनुसार अंशदान (Contribution) की राशि जो स्वायत निकाय (autonomous bodies) को उपलब्ध कराया जाना है, को अनुदान (Grants-in-aid) की श्रेणी में रखा गया है। कंडिका–02 में अंकित राज्यांश की उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा राज्य के मध्याह्न भोजन योजना हेतु अंशदान के रूप में उपलब्ध करायी गई है तथा यह राशि अनुदान की राशि है जिसकी निकासी बिहार ट्रेजरी कोड–2011 के नियम 270 के अनुसार BTC Form-42 पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर की जाएगी तथा नियम 271 के अनुसार BTC Form-42A में स्वीकृति पदाधिकारी समिति से उपयोगिता प्रमाण पत्र और अंकेक्षित लेखा प्राप्त करेंगे और उसे विभाग के द्वारा महालेखाकार को भेजा जाएगा।

11. इस राशि का विचलन अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा।

12. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–म०भो०को०/ES-108/2017 के पृ०–52/टि० पर प्राप्त है।

13. निकासी एवं व्यय की स्वीकृति पर माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

14. पृ. 49/टि० पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह०/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– म०भो०को०/ES-108/2017 ...../ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

134

ज्ञापांक :– म०भो०को०/ ES-108/2017 ...../ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– म०भो०को०/ ES-108/2017 ...11.../ पटना, दिनांक.....6/6/18.

प्रतिलिपि : निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/बजट पदाधिकारी प्रशाखा–05/सहायक निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी), शिक्षा विभाग/लेखापाल, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म० भो० यो०, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/6/18
सरकार के उप सचिव